

भाग-II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

5. परियोजना / स्कीम का स्थान:

(1) राज्य / संघ शासित प्रदेश:

(2) जिला:

(3) वन प्रभाग:

(4) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि क्षेत्र (हेक्टेयर में):

(5) वन की कानूनी स्थिति:

(6) वनस्पति का घनत्व:

(7) अखंडित क्षेत्र में वृक्षों की संख्या प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और व्यास श्रेणी-वार

(8) क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जीवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर आदि का भाग है (यदि हाँ तो, क्षेत्र का ब्यौरा तथा मुख्य वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियाँ संलग्न करें)।

6. क्या कोई कार्य अधिनियम का उल्लंघन करते हुए किया गया है (हाँ / नहीं) यदि हाँ तो किए गए कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही सहित ब्यौरा दें। उल्लंघन करते हुए कार्य क्या अभी भी चले रहे हैं।

7. पूर्व अनुमोदन के दौरान निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट (संलग्न की जानी है)।

8. प्रभाग / जिला प्रोफाइल:

(1) जिले का भौगोलिक क्षेत्र

(2) जिले का वन क्षेत्र

(3) 1980 के बाद कुल वन क्षेत्र का वनेतर उपयोग मामलों की संख्या के साथ

(4) 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण पर

(क) दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण को शामिल करते हुए वन भूमि

(ख) वनेतर भूमि

(5) .....तक प्रतिपूरक वनीकरण की प्रगति।

(क) वन भूमि

(ख) वनेतर भूमि

9. कारणों सहित प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिशें।

वर्षा में उपरोक्त में लाई जा रही 0.9921 हेक्टेयर वन भूमि वनीकरण की राह में है।

तारीख: 01-4-2015

स्थान: नैनीताल

उप प्रभागीय वनाधिकारी (ने०)  
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

हस्ताक्षर  
प्रभागीय वनाधिकारी  
सरकारी मोहर प्रभाव  
नैनीताल.